न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 2/ 2016 जिला अलवर

1. रामजी लाल पुत्र सुखराम, उम्र 59 साल
2. सत्यवीर पुत्र रामजी लाल, उम्र 25 साल
3. विक्रम सिंह पुत्र रामजी लाल, उम्र 23 साल
4. खजानी देवी पत्नी रामजी लाल , उम्र 54 साल

समस्त जाति चमार, निवासी ग्रम मउ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बसन्ती देवी पत्नी स्व. रघुवीर , जाति चमार, निवासी ग्रम मउ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 18.6.2015

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट सं.1 श्री संदीप कुमार मीना
2. वकील अपीलान्ट संख्या 2 से 4 श्री गोपाल शर्मा
3. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार

निर्णय

दिनांक– 15.11.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 18.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बसन्ती देवी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया कि ग्रम मउ, तहसील मुण्डावर , जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 700/798/0.34 हैक्टेयर , 701/799/0.28 हैक्टेयर उसकी खातेदारी की है जिसकी डोल को लेकर अप्राथीगण झगडा करते रहते हैं इसलिये उक्त आराजी की पैमाईश तहसीलदार के आदेशानुसार पटवारी हल्का चांदपुर व आई.एल.आर. व पटवारी मोहन लाल से कराई थी जिसके अनुसार पक्षकार काबिज है । दिनांक 3.7.2011 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की डोल तोड दी तथा कहने लगे कि उनकी आराजी कम है इसलिये डोल तोड कर आराजी जोतेगें । अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन झगडा फिसाद करने के कारण उक्त अराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें ।

अप्रार्थी बसन्ती देवी के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा दिनांक 18.6.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया गया कि प्रार्थिया की उक्त आराजी का सीमाज्ञान मुताबिक राजस्व रिकार्ड करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे । अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश के खिलाफ यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 4.7.16 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई का मौका प्रदान कर विधि अनुसार आदेश प्रदान करने की आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोंडेन्ट की आराजी की डोल नहीं तोडी बल्कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 701/801/076 हैक्टेयर की डोल तोड कर अपीलान्ट की आराजी में आना चाहती है । उनका कहना था अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें प्रारम्भ से नहीं थी क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था एवं प्रार्थना पत्र को कैम्प में ही निस्तारित कर दिया गया । अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की पालना के नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई ओर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 1.7.16 को नकल प्राप्त हुई एवं वकील से सलाह मशवरा कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है तथा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षमा कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की पीठ पीछे बाला बाला पारित किया गया है जो कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलाधीन आदेश पत्रावली में दिनांक 1.6.2015 के बाद कोई तारीख नियत किये बिना एवं अपीलान्ट्स को सूचना दिये बिना पत्रावली कैम्प में तलब कर पारित किया है, जो विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में पैमाईश एवं पत्थरगढी कराने का कोई कारण अंकित नहीं किया जिससे अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता । उनका कहना था कि कैम्प कोर्ट में वह विवाद निस्तारित नहीं किये जा सकते जहॉ साक्ष्य व सुनवाई की आवश्यकता हो । प्रकरण में नक्शा पुराना होने की वजह से तरमीम स्पष्ट नहीं हो रही थी , जो सिर्फ कब्जे के आधार पर, दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का मौका देकर किया जा सकता था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर कानून के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्तनीय है । उनका यह भी कहना था कि रेस्पोंडेन्ट बसन्ती द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें दिनांक 2.11.2015 को स्थगन आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को तलब पेश करने तक विवादित भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है । तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को नोटिस दिये बिना एक ही दिन में अपीलाधीन आदेश की पालना करदी तथा खडी फसल को खुर्द बुर्द कर डोल बनादी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ, त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स थे, को विधिवत नोटिस जारी किये गये थे तथा उनकी तामिल भी विधिवत रूप से कराई गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये थे । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 18.7.2011 से निरन्तर तारीख पेशियों पर चला है एवं पत्रावली कैम्प में पेश होने पर अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोंडेन्ट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के निर्देश तहसीलदार को दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का है । सर्वप्रथम प्रकरण के

गुणावगुण एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर ने रेस्पोंडेन्ट बसन्ती के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2015 पारित कर बसन्ती की आराजी का सीमाज्ञान मुताबिक राजस्व रिकार्ड करवाकर पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार मुण्डावर को दिये हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये थे तथा रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 4.6.2012 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । खसरा नम्बर 700/798 एवं 701/799 की खातेदार रेस्पोंडेन्ट बसन्ती देवी है और उसकी उक्त भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि बसन्ती देवी द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उप खण्ड अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 2.11.2015 पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जवाब पेश करने तक मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु विवादित आराजी खसरा नम्बर 700/798 रकबा 0.34 हैक्टेयर , 701/799 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्रम मउ, तहसील मुण्डावर जिला अलवर पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 18.6.15 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर